केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

दिनांक: 30.01.2018

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/27
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00027
CICOM/R/2017/00979

अपीलकर्ता : श्री दाताराम पाल,
पुत्र – श्री श्रीकृष्ण उर्फ राजाराम,
मो0 – महमद हद्दफ, ककरा कलां रोड शाहजॉपुर,
पो0 – बहादुरगंज, नगर व जिला – शाहजहॉपुर,
उत्तर प्रदेश ।

निर्णय की तारीख : 30.01.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	29.07.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	30.08.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. तलपात्रा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	03.10.2017

1. अपीलकर्ता द्वारा यह प्रथम अपील अन्य दूसरे दस्तोवेजों के साथ प्रेषित की गई थी जिस वजह से भूलवश किसी अन्य रजिस्ट्री को अग्रसारित हो जाने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 23.01.2018 को प्राप्त हुई है जो कि अपीलकर्ता के दिनांक 29.07.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर में श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध दाखिल की गई है ।

2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता द्वारा उक्त आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील सं. CIC/VS/A/2015/000543 के अनुपालन में संबंधित जन सूचना अधिकारी द्वारा आयोग को प्रेषित सूचना की प्रमाणित प्रतियाँ मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को दिनांक 30.08.2017 के पत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध करवा दी गई है । अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि उन्हें बिना प्रमाणित छायाप्रतियाँ उपलब्ध करवाई गई हैं । इस संदर्भ में श्री ए. के. तलपात्रा, उप-पंजीयक एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त (ए.बी.) कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 10/1/2013-IR दिनांक 6 अक्टूबर, 2015 जो कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) की वेबसाईट के लिंक http://document.ccis.nic.in/WriteReadData/CircularPortal/D2/D02rti/10_1_2013-IR-06102015.pdf पर उपलब्ध है, का अनुपालन करते हुए इस आदेश की प्राप्ति के दस दिनों के अंदर अपीलकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जाए ।

4. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

5. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

O/C

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री ए. के. तलपात्रा, उप-पंजीयक एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त (ए.वी.) कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
31 JAN 2018
D. No.........
Initials.........